296

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

सुमित गोयल से पहले, जे.

जतिन याचिकाकर्ता बनाम

हरियाणा राज्य 2023 का उत्तरदाता सी. आर. आर. संख्या 2876

30 जनवरी, 2024

भारतीय दंड संहिता, 1860-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015। 3, 8 (ई), 12 (1)-यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012-एस. एस. 4 और 18-आई. पी. सी. एस. 376, 506, 511-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989-धारा 3-और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-नाबालिग के साथ बलात्कार-किशोर को जमानत-कानून के साथ टकराव में बच्चे-अभिनिर्धारित-किशोर न्याय बोर्ड इस तरह से धारण करने के लिए ठोस सामग्री पर भरोसा करने के लिए और केवल आशंका जमानत को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी-अपराध की गंभीरता/गंभीरता स्वयं एक सी. सी. एल. की जमानत को अस्वीकार करने का कारण नहीं होगी जहां यह दिखाया गया है कि इस तरह की रिहाई 'न्याय के उद्देश्यों' को विफल नहीं करेगी-बोर्ड को धारा 8 के संदर्भ में प्राप्त एस. आई. आर. (सामाजिक जांच रिपोर्ट) में देखना चाहिए। 2015 का अधिनियम। माना जाता है कि उपरोक्त चर्चा के उपसंहार के रूप में कानून के जो सिद्धांत सामने आते हैं, वे इस प्रकार हैंः

((ii) इस बात के उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसी सी. सी. एल. को जारी करने से उसे नैतिक/शारीरिक/मनोवैज्ञानिक खतरे का सामना करना पड़ सकता है; या (iii) इस तरह की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

बोर्ड के लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि कोई दिया गया मामला उपरोक्त तीन अपवादों के अंतर्गत आता है, बोर्ड को ऐसा अभिनिर्धारित करने के लिए ठोस सामग्री पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है और केवल आशंका ही जमानत को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

((2) अपराध की गंभीरता/गंभीरता अपने आप में सी. सी. एल. की जमानत खारिज करने का कारण नहीं होगी जब तक कि वह जतिन बनाम हरियाणा राज्य न हो।

297

( सुमित गोयल, जे.)

यह दर्शाता है कि इस तरह की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी। उदाहरण के लिए; जहां एक सी. सी. एल. पर एक वीभत्स हत्या या एक बर्बर यौन हमले या गंभीर आतंकवादी/राष्ट्र-विरोधी गतिविधि (ओं) में शामिल होने का आरोप लगाया जाता है, बोर्ड को इस तरह की रिहाई को अस्वीकार करने में उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि रिहाई "न्याय के उद्देश्यों" को विफल कर देगी। ये परिस्थितियाँ उदाहरणात्मक प्रकृति की हैं क्योंकि ऐसी सभी स्थितियों को न तो वांछनीय है और न ही पूरी तरह से गिनना संभव है और प्रत्येक मामले पर बोर्ड द्वारा अपने तथ्यों/परिस्थितियों में विचार किया जाना आवश्यक है। (III) बोर्ड सी. सी. एल. द्वारा जमानत के लिए एक याचिका पर विचार करते समय, 2015 अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में प्राप्त एस. आई. आर. (सामाजिक जांच रिपोर्ट) के साथ-साथ मामले की उपस्थित परिस्थितियों जैसे सी. सी. एल. के परिवार के सदस्यों की स्थिति, सी. सी. एल. के सामान्य निवास के आसपास का वातावरण, सी. सी. एल. की शैक्षिक पृष्ठभूमि और उसके परिवार के सदस्यों आदि को प्राप्त करेगा और देखेगा। ये कारक प्रकृति में केवल उदाहरणात्मक हैं क्योंकि इस तरह के कारकों को पूरी तरह से गिनना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। (IV) बोर्ड, 2015 के अधिनियम की धारा 12 (1) के प्रावधान में निहित अपवादों के आधार पर सी. सी. एल. की जमानत की अस्वीकृति के मामले में, कारणों को स्वीकार करने और उन परिस्थितियों को संक्षेप में देने के लिए बाध्य है जिनके कारण ऐसी अस्वीकृति हुई है।

सी. सी. एल. की ओर से जमानत याचिका के त्वरित निर्णय में बोर्ड द्वारा गंभीर प्रयास किया जाना चाहिए और एस. आई. आर. आदि प्राप्त करने में अत्यधिक देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सी. सी. एल. से संबंधित मामले को संवेदनशीलता, सावधानी और सावधानी के साथ निपटाया जाना चाहिए। (पैरा 10) ने आगे कहा कि सी. सी. एल. (जिसकी आयु कथित अपराध की तारीख को लगभग 16 वर्ष और 09 महीने थी) के खिलाफ स्थापित मामला मुख्य रूप से यह है कि उसने लगभग 16 वर्ष की आयु की पीड़िता के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था। सी. सी. एल. के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट 28.12.2023 पर प्रस्तुत की गई है जिसमें कुल 15 अभियोजन गवाहों का हवाला दिया गया है और इस प्रकार मुकदमे/जांच की परिणति में अपना समय लगेगा। रिकॉर्ड पर यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि सी. सी. एल. के किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने या उसके नैतिक/शारीरिक/मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आने की संभावना है। मामले में प्रस्तुत सामाजिक सूचना रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके पिता, माँ और भाई-बहनों के साथ सी. सी. एल. के संबंध सौहार्दपूर्ण हैं; रवैया 298

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

सी. सी. एल. अपने सहपाठियों के प्रति सामान्य है; सी. सी. एल. के अधिकांश मित्र शिक्षित हैं और एक ही आयु वर्ग के हैं; अपने दोस्तों के प्रति सी. सी. एल. का रवैया सामान्य है; सी. सी. एल. एक सामान्य शहरी इलाके में रह रहा है; सी. सी. एल. को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का शिकार नहीं किया गया है; सी. सी. एल. किसी भी अपराध का शिकार नहीं है और सी. सी. एल. के प्रति पड़ोसियों की टिप्पणियां सामान्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जे. जे. बी., पानीपत के साथ-साथ विद्वान ए. एस. जे./एफ. टी. सी., पॉक्सो, पानीपत ने भी सी. सी. एल. की जमानत को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उसके खिलाफ आरोप गंभीर हैं और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में सी. सी. एल. के सामाजिक/नैतिक/शारीरिक/मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आने की उच्च संभावना है। हालाँकि, ये निष्कर्ष केवल आशंका के आधार पर और बिना किसी सामग्री/आधार के दर्ज किए गए प्रतीत होते हैं। इसके विपरीत, एस. आई. आर. के अवलोकन से पता चलता है कि यह चीजों की योग्यता, विशेष रूप से सी. सी. एल. के समग्र हित में होगा कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए। सी. सी. एल. द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की प्रकृति इसे जमानत की अस्वीकृति का मामला नहीं बनाती है ताकि न्याय के उद्देश्यों को संरक्षित किया जा सके। इस न्यायालय की तदनुसार यह सुविचारित राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता-सी. सी. एल. को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। (पैरा 11) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि तदनुसार वर्तमान पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है और 20.11.2023 और 07.11.2023 दिनांकित विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता-सी. सी. एल. को संबंधित सी. जे. एम./ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए आवश्यक जमानत/जमानत बांड आदि प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।

(पैरा 12)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश बंसल ने कहा, सुरेंद्र सिंह पन्नू, एडिशनल। ए. जी. हरियाणा।

(1) याचिकाकर्ता-बच्चे ने कानून के साथ संघर्ष में (इसके बाद 'सी. सी. एल.' के रूप में संदर्भित) वर्तमान संशोधन याचिका दायर की है, जिसमें विद्वान ए. एस. जे./एफ़. टी. सी. (पॉक्सो), पानीपत द्वारा पारित दिनांक 20.11.2023 के आदेश और विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट, जे. जे. बी., पानीपत (इसके बाद 'किशोर न्याय बोर्ड' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 07.11.2023 के आदेश को चुनौती दी गई है। विवादित आदेशों के माध्यम से जमानत देने के लिए सी. सी. एल. की ओर से की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया गया है। (2) यह मामला यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण की धारा 4,18 बनाम हरियाणा राज्य के तहत दर्ज प्राथमिकी (आई. डी. 1) में दर्ज किया गया है।

299

( सुमित गोयल, जे.)

अपराध अधिनियम, 2012 (इसके बाद 'पॉक्सो' के रूप में संदर्भित किया जाएगा), भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376,506,511 (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-ए (बाद में जोड़ा गया) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 पुलिस स्टेशन पुराने औद्योगिक, पानीपत जिला पानीपत में (जैसा कि याचिका में कहा गया है) इस प्रकार हैः -

“टी. ओ., एस. एच. ओ., पुलिस स्टेशन ओल्ड इंडस्ट्रियल, पानीपत। महोदय, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मैं, श्री की बेटी गीता। मोहन लाल, जाति धनक, पानीपत जिले के सोंडापुर के निवासी हैं। मेरे दो बेटे और दो बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी स्नेहा, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, 10वीं कक्षा की छात्रा है। मैं और मेरे पति रोजी-रोटी के लिए मेले में खिलौने बेचते थे। हम कई दिनों से दशमी के मेले में हिसार जिले के गांव गंगवा गए हैं। जब हम मेले से लौटे तो मेरी बेटी स्नेहा ने मुझे रोते हुए बताया कि आईडी 1 पर जब वह लगभग 9 बजे सोंडापुर चौक पर स्कूल जाने के लिए खड़ी थी तो उस समय जतिन नाम का एक लड़का वहाँ आया और उसने मुझे बहकाया और मुझे ऑटो में पेट्रोल पंप के पास गोहाना रोड के राज महल होटल में ले गया और वहाँ पहुँचकर उसने मेरे साथ जबरन बलात्कार करने की कोशिश की और मेरा वीडियो बना लिया। जब मैंने उसे रोते हुए अपने घर जाने के लिए कहा तो जतिन ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम इस बारे में किसी को बताएगी तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा और वीडियो वायरल कर दूंगा। जतिन ने मेरी बेटी स्नेहा के साथ ऐसा करके गलत किया है। जतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके खिलाफ फिर से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शिकायतकर्ता। श्री की पत्नी गीता। पानीपत जिले के सोंडापुर के निवासी मोहन लाल। ”

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को 28.09.2023 पर गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है। याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 11.12.2006 बताई गई है जिसके अनुसार सी. सी. एल. की आयु कथित अपराध की तारीख यानी 28.09.2023 पर लगभग 16 वर्ष और 09 महीने है। विद्वान वकील ने आगे कहा है कि जाँच पूरी होने के बाद, चालान (28.12.2023 पर Cr.P.C की धारा 173 के तहत रिपोर्ट) दायर की गई है जिसमें कुल 15 अभियोजन पक्ष के गवाहों का हवाला दिया गया है। विद्वान वकील ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 के वैधानिक प्रावधान पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में नियमित जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए था।

300

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(6) वर्तमान याचिका में निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु यह है कि क्या सी. सी. एल. मामले के तथ्यों/परिस्थितियों में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान नियमित जमानत पर रिहा होने का हकदार है। समान कानूनी प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि जमानत पर उसकी रिहाई के लिए सी. सी. एल. द्वारा याचिका पर विचार करने के लिए कौन से कारक शामिल हैं। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 3,8 (ई) और 12 (1) (जिसे इसके बाद '2015 अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के प्रासंगिक सांविधिक प्रावधान (7) निम्नानुसार हैंः -

((iv) सर्वोत्तम ब्याज का सिद्धांतः बच्चे के संबंध में सभी निर्णय इस प्राथमिक विचार पर आधारित होंगे कि वे बच्चे के सर्वोत्तम हित में हैं और बच्चे को पूरी क्षमता विकसित करने में मदद करेंगे। ((v) पारिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धांतः बच्चे की देखभाल, पालन-पोषण और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक परिवार या दत्तक या पालक जतिन बनाम हरियाणा राज्य की होगी।

301

( सुमित गोयल, जे.)

(xii) अंतिम उपाय के रूप में संस्थागतकरण का सिद्धांतः एक बच्चे को उचित जांच करने के बाद अंतिम उपाय के रूप में संस्थागत देखभाल में रखा जाएगा। (xiii) स्वदेश वापसी और बहाली का सिद्धांतः किशोर न्याय प्रणाली में प्रत्येक बच्चे को जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ फिर से एकजुट होने और उसी सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में बहाल होने का अधिकार होगा जिसमें वह इस अधिनियम के दायरे में आने से पहले था, जब तक कि ऐसी बहाली और प्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में न हो।

302

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

कानून के साथ टकरावः - (1) जब कोई व्यक्ति, जो जाहिरा तौर पर एक बच्चा है और जिस पर जमानती या गैर-जमानती अपराध करने का आरोप है, पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है या हिरासत में लिया जाता है या किसी बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, मुचलके के साथ या उसके बिना जमानत पर रिहा किया जाएगा या परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में या किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगाः बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार दिखाई देते हैं कि रिहाई से उस व्यक्ति के किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने की संभावना है या उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या शारीरिक खतरे में डालने की संभावना है या व्यक्ति की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी, और बोर्ड जे. ए. टी. आई. एन. बनाम हरियाणा राज्य के कारणों को दर्ज करेगा।

303

( सुमित गोयल, जे.)

जमानत से इनकार करने और ऐसी परिस्थितियों के कारण इस तरह का निर्णय लेने के लिए।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 12 (1) (जिसे इसके बाद '2000 अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) निम्नानुसार हैः -

12. किशोर की जमानत। - (1) जब जमानती या गैर-जमानती अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, और जाहिरा तौर पर एक किशोर, गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है या किसी बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, मुचलके के भीतर या उसके बिना जमानत पर रिहा किया जाएगा [या किसी परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में या किसी उपयुक्त संस्था या उपयुक्त व्यक्ति की देखभाल में रखा जाएगा] लेकिन उसे इस तरह से रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार दिखाई देते हैं कि रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ लाने या खुलासा करने की संभावना है। उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालना या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

प्रासंगिक मामला कानून (8) मुद्दे में मामले (ओं) के लिए पूर्ववर्ती, निम्नानुसार हैंः

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में जितेंद्र के रूप में दर्ज किया

सिंह @बब्बू सिंह और एक अन्य बनाम यू. पी. 1 राज्य ने माना है कि इसके अंतर्गतः -

“51. जमानत (अधिनियम की धारा 12) से संबंधित प्रावधान अभियोजन पक्ष पर जमानत से इनकार करने का बोझ डालता है। आम तौर पर, कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर को जमानत पर रिहा किया जाएगा, लेकिन उसे इस तरह से रिहा नहीं किया जा सकता है यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार दिखाई देते हैं कि रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ संबंध बनाने या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है या कि उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी। ”

((ii) माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में जिसका शीर्षक था -

तमिल नायडू राज्य में अनाथालयों में बच्चों का शोषण 1 2013(11) एससीसी 193 304

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

बनाम भारत संघ और अन्य। 2, निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः -

7. उप-धारा (1) यह पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि कानून के साथ टकराव में होने का आरोप लगाने वाले बच्चे को मुचलके के साथ या उसके बिना जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए या परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में या किसी योग्य व्यक्ति की देखभाल में रखा जाना चाहिए। एकमात्र प्रतिबंध यह बनाया गया है कि यदि बच्चे की रिहाई से उसे ज्ञात अपराधियों के साथ जोड़ा जा सकता है या बच्चे को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाला जा सकता है या जहां बच्चे की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी, तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए जमानत से इनकार किया जा सकता है। अगर जमानत भी नहीं दी जाती है, तो भी बच्चे को जेल या पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है और उसे ऑब्जर्वेशन होम या सुरक्षा के स्थान पर रखना पड़ता है।

(iii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में ओम के रूप में दर्ज किया

प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 3, निम्नानुसार आयोजित किए गए हैंः -

“18……………… लेकिन जब कोई अभियुक्त कोई गंभीर और जघन्य अपराध करता है और उसके बाद नाबालिग होने की आड़ में वैधानिक आश्रय लेने का प्रयास करता है, तो यह दर्ज करते समय कि क्या कोई अभियुक्त किशोर है या नहीं, एक आकस्मिक या घुड़सवार दृष्टिकोण की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि अदालतों को न्याय के प्रशासन को सौंपे गए संस्थान में आम आदमी के विश्वास की रक्षा करने के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दिया जाता है। इसलिए, जबकि अदालतों को यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या और अन्य अपराधों जैसे गंभीर प्रकृति के मामलों में शामिल किशोर से निपटने में संवेदनशील होना चाहिए, आरोपी को खुद को नाबालिग साबित करने का प्रयास करके वैधानिक संरक्षण का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब उसका अल्पसंख्यक होने के उसके दावे के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य एक उचित संदेह को जन्म देता है।

(iv) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस्सा @के रूप में एक निर्णय दिया है।

एस. टी. एफ., सी. बी. आई. मुंबई 4 के माध्यम से अंजुम अब्दुल रज़ाक मेमोम (ए-3) बनाम महाराष्ट्र राज्य ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः -

373. न्याय के अंत को किसी भी क़ानून में परिभाषित नहीं किया गया है,

3 2012(2) आर. सी. आर. (क्रोरल) 770

4 2013(13) एस. सी. सी. 456 जतिन बनाम हरियाणा राज्य

305

( सुमित गोयल, जे.)

376. इस तरह के मुद्दे से निपटने के दौरान, अदालत को इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि "न्याय के उद्देश्य" का अर्थ अनिवार्य रूप से सभी पक्षों के लिए न्याय को संदर्भित करता है। यह वाक्यांश कानून के चारों कोनों के भीतर जनता के सर्वोत्तम हित को संदर्भित करता है। वास्तव में, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के संवैधानिक/सांविधिक अधिकारों और कानून को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों के अधिकारों के बीच उचित संतुलन का संरक्षण। "न्याय के उद्देश्य" का अर्थ न्याय की अस्पष्ट और अनिश्चित धारणाएँ नहीं हैं, बल्कि न्याय के अनुसार न्याय है। देश का कानून। (वीडियोः स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड ओआरएस बनाम एस. के. शर्मा, ए. आई. आर 1996 एस. सी. 1669; और महादेव गोविंद घरगे और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण 303

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

अधिकारी, ऊपरी कृष्णा परियोजना, जामखंडी, कर्नाटक, (2011) 6 एस. सी. सी. 321) 377. इस प्रकार, कानून की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि यह सिद्धांतों के अनुसार सुसंगत रूप से विकसित हो, ताकि न्याय के उद्देश्यों को समान रूप से पूरा किया जा सके।

(v) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में XXX के रूप में टाइल किया

बनाम 2023 की आपराधिक अपील No.1569 में राजस्थान राज्य और ए. एन. आर. (2023 की एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) संख्या 2981 से उत्पन्न) पर निर्णय लिया गया 17.05.2023 , निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया हैः - 11. हम उम्मीद करते हैं कि किशोर न्याय बोर्ड ऐसे मामलों में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएगा। धारा 12 की उप-धारा (1) की योजना के तहत, आम तौर पर, कानून में संघर्ष में एक किशोर को मुचलके के साथ या उसके बिना जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए या परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में या किसी भी योग्य व्यक्ति की देखभाल में रखा जाना चाहिए। परंतुक धारा 12 की उप-धारा (1) का एक अपवाद है जिसमें उन परिस्थितियों को शामिल किया गया है जिनके तहत धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत किशोर को लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

12. इसलिए, किशोर न्याय बोर्ड के लिए यह आवश्यक था कि वह इस सवाल पर अपना दिमाग लगाए कि क्या अपीलार्थी को जमानत दी जानी चाहिए ताकि वह ऊपर उल्लिखित सामाजिक जांच रिपोर्ट के अनुसार मां के साथ रह सके। पिता और माता के अलावा, अपीलार्थी की एक दादी, बड़ा भाई और बड़ी बहन होती है। इसके अलावा, उसके पिता और चचेरा भाई जो सह-आरोपी हैं, न्यायिक हिरासत में हैं। 13. इसलिए, जमानत से इनकार करने का आदेश पारित करने से पहले, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपीलार्थी के परिवार के अन्य सदस्यों की स्थिति, अपीलार्थी के घर के आसपास के परिवेश और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद एक गहरी जांच पर विचार किया गया था। बिना किसी जांच के, किशोर न्याय बोर्ड ने धारा 12 की उप-धारा (1) के प्रावधान को पुनः प्रस्तुत किया है और जमानत देने से इनकार कर दिया है।

विश्लेषण (पुनः विधि) (9) शुरुआत में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि किशोर न्याय से संबंधित कानून के वैधानिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण जे. ए. टी. आई. एन. बनाम हरियाणा राज्य शामिल था।

307

( सुमित गोयल, जे.)

2000 अधिनियम के स्थान पर 2015 अधिनियम को अधिनियमित करके परिवर्तन। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के लिए विधेयक का परिचय और उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः -

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार और सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करता है। XXX

XXX

XXX

”

XXX

XXX

5. उपर्युक्त मुद्दों को हल करने के लिए मौजूदा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में कई बदलावों की आवश्यकता है और इसलिए, मौजूदा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को निरस्त करने और बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के सामान्य सिद्धांतों, देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले में प्रक्रियाओं और कानून के साथ संघर्ष में बच्चों, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण 308 के लिए एक व्यापक कानून को फिर से लागू करने का प्रस्ताव है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

ऐसे बच्चों के लिए उपाय, बच्चों के खिलाफ गोद लेना। इस प्रकार यह कानून बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास, उपचार और सामाजिक एकीकरण सुनिश्चित करेगा। ”

हालाँकि, 2015 के अधिनियम की धारा 12 (सी. सी. एल. को जमानत जारी करने से संबंधित) और 2000 के अधिनियम की धारा 12 (किशोर को जमानत जारी करने से संबंधित) के तुलनात्मक आलोचनात्मक विश्लेषण से पता चलेगा कि दोनों प्रावधान सार में एक ही तर्ज पर हैं। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि विधायिका ने 2015 के अधिनियम के अधिनियमन के माध्यम से महत्वपूर्ण परिवर्तनों को शामिल करने के बावजूद किशोर न्याय प्रणाली के तहत जमानत देने के लिए निर्धारित मापदंडों में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। तदनुसार, यह न्यायालय वर्तमान मामले में 2015 अधिनियम की धारा 12 की व्याख्या पर विचार करते समय 2000 अधिनियम की धारा 12 की व्याख्या से संबंधित मामले के कानून पर भरोसा करना व्यावहारिक समझता है।

(9.1) 2015 अधिनियम की धारा 12 का एक नंगे अवलोकन; जब प्रकाश में पढ़ा जाता है

व्याख्या का सिद्धांत अर्थात "व्याख्या/शाब्दिक का स्वर्ण नियम व्याख्या का नियम "अनिवार्य रूप से यह मानता है कि विधायी जनादेश को क़ानूनों में निर्धारित के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। 2015 अधिनियम की धारा 3 (अधिनियम के प्रशासन में पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत) जो उन मौलिक सिद्धांतों को अनिवार्य करती है जिनके द्वारा बोर्ड 2015 अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते समय निर्देशित किया जाएगा।

309

( सुमित गोयल, जे.)

इसलिए, यह स्पष्ट है कि आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत अर्थात् "जमानत और जेल नियम नहीं है" 2015 की धारा 12 के तहत जमानत के मामले में अधिक जोर से लागू होता है। -ए-विस। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत जमानत का मामला। इसलिए, आम तौर पर, सी. सी. एल. 2015 अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान में दिए गए अपवादों के भीतर नहीं आने वाले विशेष मामले के अधीन जमानत का हकदार होगा। (9.2) हालाँकि, 2015 के अधिनियम के तहत जमानत देने के लिए सी. सी. एल. के पक्ष में कोई अक्षम्य अधिकार मौजूद नहीं है। सी. सी. एल. के किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में आने या सी. सी. एल. के नैतिक/शारीरिक/मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आने की संभावना से संबंधित वैधानिक आदेश पर विचार करने वाले न्यायालय/बोर्ड के अलावा, उक्त न्यायालय/बोर्ड को इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसे सी. सी. एल. की रिहाई "न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी। ” 2015 के अधिनियम के अधिनियमन के पीछे के उद्देश्य/उद्देश्यों के साथ-साथ किशोर न्याय प्रणाली के पीछे के हितकारी न्यायशास्त्रीय सिद्धांत (ओं); जब ओम प्रकाश के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में पढ़ा जाता है, तो यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि किशोर न्याय प्रणाली का सी. सी. एल. को संरक्षण इस तरह के सी. सी. एल. को सावधानी और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने के लिए है। हालाँकि, इसका उपयोग सी. सी. एल. द्वारा किसी भी और सभी कृत्यों/अपराधों के दंडात्मक परिणामों से रामबाण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, चाहे ऐसे अधिनियम/अपराधों की डिग्री और प्रकृति कुछ भी हो। इस प्रकार, विधायिका ने यह प्रावधान पेश किया है कि ऐसे व्यक्ति (सी. सी. एल.) की रिहाई "न्याय के उद्देश्यों को विफल नहीं करेगी"। यह तर्क कि "न्याय के अंत" शब्दों को "इजस्डेम जेनरिस" के सिद्धांतों के अनुसार एक संकुचित अर्थ दिया जाना चाहिए, इस प्रकार खारिज किए जाने योग्य है।

(9.3) एस्सा @के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

अंजुम अब्दुल रज़ाक मेमन के मामले (ऊपर) ने व्यापक रूप से निपटा है। "न्याय के अंत" शब्दों का अर्थ और यह स्पष्ट किया गया है कि इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि यह जनता के अलावा विचाराधीन सी. सी. एल., पीड़ित और उसके परिवार के साथ-साथ अभियोजन पक्ष सहित सभी संबंधित पक्षों को न्याय प्रदान करे। 2015 के अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान का निश्चित रूप से यह संकेत देने का इरादा है कि आम तौर पर सी. सी. एल. 2015 के अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों में निहित शर्तों के अधीन जमानत पर विस्तारित होने का हकदार है, लेकिन ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां "न्याय के अंत" के लिए आवश्यक होगा कि ऐसी सी. सी. एल. को जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है। किसी मामले में, सी. सी. एल. द्वारा कथित रूप से किया गया अपराध 310 का हो सकता है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

ऐसी प्रकृति/प्रकार जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर सकती है और ऐसे तथ्यों में न्याय के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए ऐसे सी. सी. एल. को जमानत देने से इनकार करना अनिवार्य हो सकता है। ” उदाहरण के लिए; एक सी. सी. एल. पर एक वीभत्स हत्या या एक बर्बर यौन हमले या एक प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया जा सकता है जिसने देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डाल दिया है या ऐसे सी. सी. एल. द्वारा किया गया कार्य/अपराध समाज के सामाजिक ताने-बाने को फाड़ने की प्रकृति का हो सकता है। इस तरह के मामलों में, इस तरह के कथित कार्य/अपराधों की प्रकृति के कारण ऐसे सी. सी. एल. को जमानत देने से इनकार करना उचित होगा, यह देखते हुए कि जमानत देने के परिणामस्वरूप न्याय के उद्देश्यों को विफल कर दिया जाएगा। ” यह कोई पहेली नहीं है कि ऐसी स्थितियों की पूरी तरह से गणना करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है और इसलिए इसे बोर्ड के न्यायिक विवेक पर छोड़ना उचित होगा। इस न्यायालय को इसमें एक सावधानी का शब्द जोड़ना चाहिए कि सी. सी. एल. को जमानत देने से इनकार करने के लिए क़ानून में उपलब्ध "न्याय के उद्देश्यों" की उपरोक्त अवधारणा को विवेकपूर्ण और संवेदनशील रूप से नियोजित किया जाना चाहिए यदि किसी मामले के तथ्यों/परिस्थितियों की आवश्यकता है। केवल यह तथ्य कि एक सी. सी. एल. पर एक गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है, वास्तव में, इस तरह के सी. सी. एल. को जमानत देने से इनकार नहीं करेगा, जब तक कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मानना अनिवार्य नहीं हो जाता है कि इस तरह की रिहाई "न्याय के उद्देश्यों" को विफल कर देगी। (9.4) 2015 अधिनियम की धारा 12 के तहत जमानत की याचिका पर विचार करते समय बोर्ड को अनिवार्य रूप से सी. सी. एल. की पृष्ठभूमि, सी. सी. एल. के नियमित निवास स्थान के आसपास के वातावरण और अन्य संबंधित कारकों के बारे में जांच करनी है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "XXX बनाम राजस्थान राज्य (ऊपर)" के रूप में दिए गए फैसले में निर्धारित किया गया है। ” यहां यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि 2015 अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में मांगी गई सामाजिक सूचना रिपोर्ट (एस. आई. आर.) एक बहुत ही प्रासंगिक सामग्री/कारक होगी जिस पर बोर्ड द्वारा 2015 अधिनियम की धारा 12 के तहत जमानत की याचिका पर विचार करते समय विचार किया जाना आवश्यक है। हालाँकि, चूंकि मामला एक बच्चे से संबंधित है, इसलिए बोर्ड द्वारा आवश्यक कदम उठाने के अलावा उचित संवेदनशीलता का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के निर्णय में देरी से बचा जा सके। (10) उपरोक्त चर्चा के उपसंहार के रूप में कानून के जो सिद्धांत सामने आए हैं, वे इस प्रकार हैंः

(5) आम तौर पर, एक सी. सी. एल. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत जमानत का हकदार होगा, सिवाय इसके किः (i) इस बात के उचित आधार प्रतीत होते हैं कि इस तरह की रिहाई से सी. सी. एल. के किसी ज्ञात अपराधी या जतिन बनाम हरियाणा राज्य के साथ जुड़ने की संभावना है।

311

( सुमित गोयल, जे.)

((ii) इस बात के उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसी सी. सी. एल. को जारी करने से वह नैतिक/शारीरिक/मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ सकता है; या (iii) इस तरह की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

बोर्ड के लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि कोई दिया गया मामला उपरोक्त तीन अपवादों के अंतर्गत आता है, बोर्ड को ऐसा अभिनिर्धारित करने के लिए ठोस सामग्री पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है और केवल आशंका ही जमानत को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

(VIII) बोर्ड, 2015 के अधिनियम की धारा 12 (1) के प्रावधान में निहित अपवादों के आधार पर सी. सी. एल. की जमानत की अस्वीकृति के मामले में, कारण देने और उन परिस्थितियों को संक्षेप में देने के लिए बाध्य है जिनके कारण इस तरह की अस्वीकृति हुई है। (IX) सी. सी. एल. की ओर से जमानत के लिए याचिका के त्वरित निर्णय में बोर्ड द्वारा एक गंभीर प्रयास किया जाना चाहिए और एस. आई. आर. आदि प्राप्त करने में अत्यधिक देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सी. सी. एल. से संबंधित मामले को संवेदनशीलता, सावधानी और सावधानी के साथ निपटाया जाना चाहिए।

312

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

निर्णय (12) तदनुसार वर्तमान पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है और 20.11.2023 और 07.11.2023 दिनांकित आक्षेपित आदेश साथ-साथ निर्धारित किए जाते हैं। याचिकाकर्ता-सी. सी. एल. को संबंधित सी. जे. एम./ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए आवश्यक जमानत/जमानत बांड आदि प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। यह भी निर्देश दिया जाता है कि ऐसे संबंधित सी. जे. एम./ड्यूटी मजिस्ट्रेट याचिकाकर्ता-सी. सी. एल. को जमानत पर रिहा करते समय ऐसी अतिरिक्त शर्तें लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे जो उनके द्वारा उचित समझी जाएं।

जतिन बनाम हरियाणा राज्य

313

( सुमित गोयल, जे.)

(15) चूंकि मुख्य मामले का फैसला हो चुका है, इसलिए लंबित विविध आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया जाएगा। रिपोर्टर-डॉ. पायल मेहता